



## उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

E-Mail : medicalcell@upptcl.org

संख्या:-78-मेडिकल सेल/पाट्टाकालि/2026/मे0से0(टी0सी0- I)OPD+IPD

दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

**विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक अन्तरिम रूप से बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

### कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या 4452-औ0सं0-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या-320-औ0सं0-17/पाकालि/2024 दिनांक 24.01.2024 एवं कारपोरेशन आदेश संख्या-3330-औ0सं/2018-11(28)ए0एस0/2004 दिनांक 08.08.2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन आदेश संख्या-340-औ0सं0-17/पाकालि/2024-11(01)ए0एस0/09(2023-24) दिनांक 29.01.2024 के द्वारा संलग्न सूची में इंगित 48 चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता दिनांक 30.04.2026 तक बढ़ायी गयी थी, जिसके अनुक्रम में एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1001-औ0सं0/2026-11(28)ए0एस0/2004 (वाल्जूम-3) दिनांक 10.04.2026 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन उनकी मान्यता अवधि एतद्वारा दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक अन्तरिम रूप से निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. संलग्न सूची में इंगित चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूची में उल्लिखित अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होंगे। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2335-औ0सं0-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
4. समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के साथ-साथ उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के कार्मिकों/पेन्शनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु भी अधिकृत होंगे।
5. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त की जा सकती है।

**संलग्नक : यथोपरि।**


**निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)**

**संख्या:-78(1) मेडिकल सेल/पाट्टाकालि/2026-तददिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन लि०, शक्ति भवन/उ०प्र० एस०एल०डी०सी० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(कार्य एवं परि०)/(सं० एवं नि०)/(वा० एवं निय०)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(एस०एल०डी०सी०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, जॉच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
14. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/ उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पाट्टाकालि, लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
17. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
18. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppl.org-medical](http://www.uppl.org-medical) पर अपलोड करने हेतु।
20. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/पंजीकरण प्राधिकारी, उ०प्र०।
21. प्रबन्धकगण- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
22. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
23. कट फाइल।

आज्ञा से,



(अनुज कुमार)

अधिशासी अभियन्ता (मेडिकल सेल)


कार्यालय ज्ञाप संख्या-78-मे0सेल/पाट्राकालि/2026, दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक अन्तरिम रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची  
(भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित सभी ऐलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक/युनानी आदि चिकित्सालय/संस्थान स्वतः कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।)

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
लखनऊ 1	मेदान्ता लखनऊ (Unit of Medanta Holdings Pvt Ltd.) सेक्टर-ए, पॉकेट-1 सुशान्त गोल्फ सिटी, अमर शहीद पथ, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
2	चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड निकट फ्लाईओवर, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
3	अवध हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, अवध हॉस्पिटल चौराहा, सिंगारनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
4	आस्था सेन्टर फॉर गिरीयाट्रिक मेडिसिन पालिएटिव केयर हॉस्पिटल एण्ड सोसियल वेलफेयर सोसाइटी बी-52, जे-पार्क, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
5	मेडिक्स इन्टरनेशनल लाइफ साइंसेज लि0 (अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल) के0बी0सी0-31, सेक्टर-बी एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
6	अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आई0वी0एफ0 सेन्टर प्रा0 लिमिटेड, 765 ए0बी0सी0 काम्प्लेक्स, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
7	एस0सी0 त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
8	अभिनव दृष्टि नेत्र चिकित्सालय, बी-719, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
9	लखनऊ आई हॉस्पिटल, 82/40-क, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग लालकुआँ, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
10	लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, मानस नगर, जियामऊ, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
11	डिवाइन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, विराज खण्ड इन्स्टीट्यूशनल एरिया-5 गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
12	मेयो मेडिकल सेन्टर प्रा0लि0, विकास खण्ड-II गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
13	एस0के0डी0 हॉस्पिटल, केबीसी-27, सेक्टर-बी, फिनिक्स मॉल के पास, आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
14	प्रकाश नेत्र केन्द्र, एन0एच0-2, विपुल खण्ड-4, गोमतीनगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
15	चरक हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, दुबग्गा, लखनऊ	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
16	डा0 सुबोध अग्रवाल, मेमोरियल आई हॉस्पिटल, 3-सी/1 अपोजिट राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
17	सन आई हॉस्पिटल एण्ड लेजर सेन्टर, प्रा0लि0, 57-बी, सिंगारनगर, आलमबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
18	रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विवेकानन्द पुरम, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
19	टेण्डर पाम हॉस्पिटल, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
20	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, बी-55, एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

<b>मेरठ</b> 21	जसवन्त राय स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मवाना रोड, मेरठ। (आदेश सं०-1929-औ०सं०-17/2015 दि० 30.05.2015 द्वारा हृदय तथा अन्य गम्भीर रोगों हेतु कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
22	मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, 47/जी-5, बाउन्ड्री रोड, लालकुर्ती, मेरठ। (आदेश सं०-1012 औ०सं०/2013 दिनांक 04.04.2013 द्वारा हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>गाजियाबाद</b> 23	मानव मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बी-ब्लॉक मार्केट, कविनगर, गाजियाबाद। (आदेश सं०-3246-औसं-17/19 दिनांक 18.09.19 द्वारा गम्भीर रोगों हेतु कैशलेस की सुविधा)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
24	यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एच-1, कौशाम्बी, गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
25	ली क्रेस्ट हॉस्पिटल, प्लाट नं०-आईएनएस-13, सेक्टर-4, नियर बुद्ध चौक वसुन्धरा गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
26	नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, मोहन नगर, गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
27	यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर 3 एम, नेहरू नगर गाजियाबाद। (आदेश सं०-743-औ०सं०/2009 दिनांक 16.02.2009, आदेश सं०-335-औ०सं०/2015 दिनांक 28.01.2015 एवं आदेश सं०-871-औ०सं०/2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
28	मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, डब्लू-3 सेक्टर-1 वैशाली, गाजियाबाद (उ०प्र०)।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
29	शान्ति गोपाल हॉस्पिटल, एन०एच०-1, अहिंसा खण्ड-2 इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>नोएडा</b> 30	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-11-12, नोएडा। (आदेश सं०-5338-औ०सं०/2005 दिनांक 30.11.2005 एवं आदेश सं०-194-औ०सं०/2014 दिनांक 25.01.2014 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
31	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, एन०एच०-01, सेक्टर-110, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
32	कैलाश हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एच-33, सेक्टर-27, नोएडा। (आदेश सं०-1305-औ०सं०/2006 दिनांक 27.03.2006 हृदय के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
33	जे०पी० हॉस्पिटल (ए यूनिट ऑफ जे०पी० हेल्थकेयर लि०), सेक्टर-128, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
34	नेयो हॉस्पिटल, डी-170-ए, सेक्टर-50, नोएडा। (आदेश सं०-5575-औ०सं०/2023 दिनांक 30.12.2023 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
35	फेलिक्स हेल्थ केयर प्रा०लि०, एन०एच०-01, सेक्टर-137, नोएडा। (आदेश सं०-1725-औ०सं०-17/2023 दिनांक 25-04-2023 एवं आदेश सं०-3860-औ०सं०-17/2023 दिनांक 24-08-2023 द्वारा हृदय/गम्भीर रोगों के कैशलेस उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>बुलन्दशहर</b> 36	मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>कानपुर</b> 37	फार्च्यून हॉस्पिटल, 117/क्यू/40-ए, शारदानगर, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

38	चाँदनी हॉस्पिटल, 9/60 आर्यनगर, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
39	रॉयल कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर 113/103-ए, स्वरूप नगर अपोजिट मोतीझील, कानपुर। (कैंसर रोग के उपचार हेतु एकल विशिष्टता)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
40	अपोलो स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स, प्रा0लि0, 14/138, चुन्नीगंज, माल रोड, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>अलीगढ़</b> 41	मिथराज हॉस्पिटल, रामघाट रोड़, अलीगढ़।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>आगरा</b> 42	शान्तिवेद इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एन0एच0-19, बाईपास रोड़, आगरा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>वाराणसी</b> 43	एपेक्स हॉस्पिटल, डी0एल0डब्लू0, हाईडिल रोड़, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
44	पापुलर मेडिकेयर लिमिटेड, एन0-10/60, ए-2, डी0एल0डब्लू0 नियर रेलवे ओवरब्रिज, ककरमत्ता, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>प्रयागराज</b> 45	प्राची हॉस्पिटल, सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>फरीदाबाद</b> 46	मैट्रो हार्ट इन्स्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल सेक्टर-16 ए, फरीदाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
47	मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर- 38, गुडगाँव, हरियाणा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
<b>नई दिल्ली</b> 48	फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, लि0, ओखला रोड़ नई दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

आज्ञा से,

  
(अनुज कुमार)

अधिशायी अभियन्ता (मेडिकल सेल)